(i) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(ii) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(iii) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(iv) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993—*CONTD.*

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : कल मैं चार राज्यों के एप्रोप्रियेशन बिल 1993 के ऊपर चर्चा कर रहा था और मैं यह बता रहा था कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि इस देश के अंदर कुछ विरोधी दल की पार्टियां जो सिद्धान्तहीन हैं, वह बुलबुले की तरह राज में आ जाती हैं और बुलबुला कितना टिकता है, उसी तरह ये सरकारें वापस चली जाती हैं ! उसी का परिणाम है कि 6 दिसम्बर की घटना के बाद देश के कोने-कोने में हा-हाकार मचाया यहां तक कि भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया। इन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि राष्ट्रपति जी को राज्य सरकारों को भंग करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ा। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जितनी योजनाएं चल रही थीं, जितने कार्य ग्राम विकास के चल रहे थे, प्रदेश की सिंचाई के साधन थे, सड़कों का कार्य था, गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए जे०आर०वाई० का कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सारे काम ठप्प कर दिये। वहां के मुख्य मंत्री एक ही बात कहते थे कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के खजाने को खाली कर दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि दो-ढाई साल के शासन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश को पैसा केन्द्रीय सरकार से मिला उसके बाद भी वह काम नहीं हुआ और वह सारा पैसा लैप्स हो गया। आज हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो कानून व्यवस्था थी उससे अच्छी कानून व्यवस्था आज इन प्रदेशों में है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जगह-जगह दंगे हुए, कई माताओं और बहनों की गोदें छीनी जा रही थीं। वह वातावरण बदला है। वहां शांति हुई है। सामने बैठे हुए लोग कल यह कह रहे थे कि राज्यपाल का शासन होने से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। यह तो ये लोग भी जानते हैं कि किस परिस्थिति में हमारी सरकारें थीं, लोगों की क्या स्थिति थी उन प्रदेशों में और आज क्या स्थिति है। ये विकास की बात करते हैं तो जहां इनकी सरकारें थीं वहां गांव के विकास के लिए जो योजनाएं थीं उनको बंद कर दिया था। गांव के लोगों के सामने कई समस्याएं पैदा कर दी थीं ! राजस्थान के गवर्नर ने एक महीना और तीन दिन राजस्व अभियान चलाया। गांव गांव के अंदर आम आदमी की जो समस्या थी उसका निपटारा कराया। इस राजस्व अभियान के अंदर राजस्व से संबंधित मामले, समाज कल्याण से संबंधित मामले, जलप्रदाय, विद्युत मंडल से संबंधित मामले, सहकारी समितियों से संबंधित मामले, ग्रामीण विकास से संबंधित मामले, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी मामले, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन संबंधी मामलों के सारे विविध अधिकारियों को गांव के अंदर जाना पड़ा और अभियान के माध्यम से मौके पर जाकर लोगों की आम समस्याओं का निपटारा किया। यह एक रिकार्ड है। इसलिए मैं कहता हूं कि राज्यपाल का शासन एक अच्छा शासन है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में शिक्षा प्रसार होना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में शिक्षा प्रसार नहीं होना चाहिए इस प्रकार का कानून पेश किया। छः हजार प्राइमरी स्कूल जब कांग्रेस की सरकार खोल गई थी तो इन्होंने एक कलम से उनको बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के गवर्नर को जिन्होंने उसी कलम से उन स्कूलों को पुनः खोल दिया। जो सरकार लोगों को अशिक्षित रखना चाहती है वह क्या सरकार है। राजस्थान का यह सौभाग्य है कि इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया, ये अपने घर चले गये। गवर्नर साहब ने सौ के करीब सीनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले हैं। इस देश की जनता में असत्य स्लोगन देकर और असत्य नारे लगाकर और बेमेल गठजोड़ करके आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। आपने पहले भी प्रयोग किया और 1977 में आप ढाई साल तक रहे और अब की बार भी ढाई साल तक रहे। इस प्रकार से आपने दो बार आपने चुनावों का सेशन पूरा किया। आप अकेले नहीं आ सकते हैं। केवल बेमेल गठजोड़ करके ही सत्ता में आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रात दिन जो लोग यह कहते थे कि बी०जे०पी० साम्प्रदायिक पार्टी है, बी०जे०पी० से घृणा करते थे, रामो-वामो जो यह कहते थे कि हम किसी भी इश्यू पर बी०जे०पी० के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन 28 तारीख को आपने देखा कि सारे लोग नरसिंह राव की सरकार को गिराने के लिए एक हो गये। जो आपस में बेमेल हैं, जिनके कोई सिद्धान्त नहीं हैं, वे कुर्सी के लिए एक हो गये। कल मालवीय जी कह रहे थे कि केन्द्रीय सरकार धर्म को राजनीति से अलग करने का बिल ला रही थी, लेकिन वह वापस हो गया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासन हुए]

कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतना बहुमत नहीं था कि वे ½ बहुमत प्राप्त कर लेते। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो लोग रात दिन यह कहते थे कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे। उनके चेहरे आज साफ हो गये हैं। इस देश में साम्प्रदायिक दंगे वह चाहते हैं जिनको इन दंगों से फायदा होता है। जनता दल के लोगों की नियत साफ हो गई है। केवल कुर्सी के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने में इनको कहीं कोई रोक-टोक नहीं है।

राजस्थान में गवर्नर के शासन काल में जो विकास के कार्य हुए हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा था। जहां तक सिंचाई का सवाल है, राजस्थान के अन्दर छोटे-मोटे कई बांधों पर काम चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने सारा काम रोक दिया। लेकिन राज्यपाल के शासन काल में इन्दिरा

गांधी फीडर, गंगा नहर और लिंक नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । इस साल के अन्दर बीकानेर कैनाल की जो मेन कैनाल है उसकी मरम्मत की गई है और गंगा नहर से पानी दिया गया है । 37 हजार हैक्टियर आसिंचित कृषि भूमि में सिंचाई के लिए थालों के निर्माण का कार्य हो रहा है । राजस्थान के गवर्नर के शासन काल की उपलब्धियों में एक और बात मैं बताना चाहता हूं । यहां पर किसानों के बारे में चर्चा हुई थी. . .(व्यवधान) । चुनाव भी होंगे और उनमें आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारे शासन ने क्या काम किये हैं । चुनाव होंगे लेकिन ऐसी परिस्थिति आप पैदा करते हैं । जिस तरीके से आप पहले सत्ता में आये, उसी बात को आप पुन: पैदा करना चाहते हैं । इसीलिये चुनाव बढ़ते रहे । हम तैयार हैं चुनाव के लिए । आप अपनी भावनायें सुधार लें, अपने आप को ठीक कर लें । चुनाव भी होंगे । चुनाव रुकने वाले नहीं हैं । इस देश के अंदर जब प्रजातंत्र लागू है और प्रजातंत्र में चुनाव तो होते ही हैं ।

मैं किसानों की बात कर रहा था । राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां सिंचाई के लिये बिजली देते हैं वहां क्या किया । कांग्रेस सरकार 25 रुपये की अप्लीकेशन पर बिजली किसानों को देती थी । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यह एक हजार रुपया कर दिया । उन्होंने यह कानून बनाया । कांग्रेस की सरकार में किसानों को जो बिजली का खम्भा मुफ्त में मिलता था, भारतीय जनता पार्टी के राज में वह पैसों में मिलने लगा । एक नयी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाली कि बिना ग्राहरीटी के, बिना नंबर के—30-35 हजार रुपया खर्च करके किसानों को तुरंत बिजली मिलेगी । लेकिन राजस्थान में कोई ऐसा किसान नहीं था जो 30-35 हजार रुपया खर्च कर सके । केवल पूंजीपति, जो किसान के नाम से जाने जाते हैं वही बिजली लगा सकते थे । उनको लाभ पहुंचाने के लिये, गरीब किसानों का कनेक्शन रोकने के लिये यह स्कीम लगायी गयी । इसका विरोध हुआ, विद्रोह करना पड़ा । लेकिन किसानों के प्रति घृणा की भावना रखने वाली सरकार ने अप्लीकेशन पर एक हजार रुपया ही रखा । लोगों को कनेक्शन नहीं मिला । लेकिन जब से गवर्नर का रूल लागू हुआ है प्रदेश के अंदर, किसानों को बिजली मिलने लगी है ।

पिछले साल पीने के पानी की समस्या राज्य में बनी । लोगों को 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा । हैंड-पम्प लगाये गये । लेकिन कांग्रेस सरकार के जमाने के इन हैंड पम्पों को वह सरकार ठीक नहीं कर सकी । लेकिन इस वर्ष राजस्थान में, गवर्नर प्रशासन में गांव गांव में इन हैंड पम्पों को ठीक किया गया है । कई जगह हैंड-पम्प गहरे लगाये हैं । कई रीजनल स्कीमें चलायी गयी और लोगों को पानी मुहैया कराया गया । बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर इन तीनों जिलों के अंदर अकाल पड़ा हुआ है । अकाल के अन्तर्गत, यहां पर राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में आपने क्या कराया ? अकाल के अन्तर्गत कामों के अंदर इनका काम हुआ । वैसा काम कहां से होता ? इनकी सरकार ने तो ग्राम पंचायतों को ही भंग कर दिया, सारी पंचायतों को भंग कर दिया । क्योंकि काम तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से होते हैं और ये उनसे काम नहीं करवाना चाहते थे । इनका उद्देश्य नहीं था कि गांव के लोगों को पीने का पानी मिल सके, वहां विकास का काम हो सके । इन्होंने सोचा कि काम हो गया तो क्योंकि ये सरपंच कांग्रेस के हैं, नाम इनका होगा । इसलिये एक ही आदेश में समस्त ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया ।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : आप गलत सूचना दे रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री भैरों सिंह) : आप बीच में टोका-टोकी न करें ।

श्री रामदास अग्रवाल : जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद वे खत्म हुई हैं । हमारी सरकार ने उनको भंग नहीं किया । यह गलत बात है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भैरों सिंह) : उनको बोलने दीजिए । बीच में टोका-टोकी मत कीजिए । आपको भी बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री भूलचन्द मीणा : आपकी सरकार को शर्म आती तो चुनाव न करवाये गये होते ।. . .(व्यवधान). . .

श्री रामदास अग्रवाल : आप चुनाव करवा लीजिये ।

श्री भूलचन्द मीणा : चुनाव भी होंगे, पंचायतों के ।

श्री रामदास अग्रवाल : आप उनके चुनाव इन 8 महीनों में करवा लेते ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भैरों सिंह) : बीच में टोका-टोकी मत कीजिए । मीणा जी, आप अपनी बात कहिये । देखिये आपने कल भी समय लिया और आज भी ले लिया है । इसलिये कम से कम समय में अपनी बात कहें । आपके दल के और भी लोग बोलने वाले हैं ।. . .(व्यवधान). . .

3-00 P.M.

श्री भूलचन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष जी, कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया था लेकिन आप तो सभा में कह देते हैं कि 6 महीने का और बढ़ाया था, भैरों सिंह जी ने उनको भंग किया । क्यों किया उस प्रदेश के अन्दर अकाल पड़ा हुआ था वहां अकाल का काम होता लेकिन फूल खिला कर यह कहते हैं कि तीन जिलों के अन्दर आप सर्वे कर लें अकाल के अन्तर्गत काम हुआ है । जवाहर रोजगार योजना, आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत प्रदेश में नयी सड़कों का निर्माण हुआ है, पीने के पानी की नयी योजनाएं लागू हुई हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस गवर्नर राज में सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत जुलाई के महीने में 45 नयी सड़कें सैंक्शन की गई हैं और उन पर काम चालू किया है । आप विकास की बात करते हैं । विकास अगर इस देश में कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी की

सरकार बन सकती है। कांग्रेस ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल गठजोड़ कर के सत्ता में कहीं आ जाए तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। यह कुर्सी के लिए गठजोड़ कर सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंतर्गत गवर्नर शासन के अन्तर्गत जो भी पैसे की आवश्यकता है, 77,11,10,77,000/- निश्चित निधि निकालने की बात है, स्वीकृति दे दी जाए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992, which has been passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th August, 1993, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

---

(1) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(2) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(3) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(4) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993—*CONTD.*

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह दुखद बात है कि जिस विनियोग विधेयकों पर विधानसभाओं में विचार करना चाहिये, राज्यसभा को फिर दूसरी बार भी विचार करना पड़ रहा है। यह कोई देश का छोटा-मोटा हिस्सा नहीं है बल्कि एक विशाल आबादी है जहां हम प्रजातान्त्रिक पध्दति की सरकार से उनको वंचित रखे हुए हैं। यह किसी के लिए भी प्रसन्नता की बात नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ है कि डिवाइन राइट आफ रूलिंग के मुताबिक वह राज करेंगे, इसीलिए गवर्नर राज रहेगा, गवर्नर राज बहुत अच्छा है। बहुत तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं यह कहां से सारी बातें आती हैं। यह कांग्रेस की कोई परम्परा, कांग्रेस की नीति की बात नहीं है। (**व्यवधान**) मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन को जल्दी समाप्त किया जाए, वोट करवाया जाए और प्रजातान्त्रिक पद्धति लाई जाए। यह भी तो आपके श्रीमुख से निकलता तो मैं प्रसन्न होता। मैं यह क्यों कह रहा हूं? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके बूते में नहीं है कि आप इस राष्ट्रपति शासन की अवधि को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। जो बढ़ गया सो बढ़ गया। दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। आपने स्वयं चर्चा की कि 80 वां संविधान संशोधन वहां नहीं पारित हो सका। कोई वजह नहीं है कि आप फिर यहां आएंगे कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए तो पास होगा, अगर थोड़ी भी आपके दिल में इसकी आशा हो तो इसको समाप्त कर दीजिये। (**व्यवधान**) ओब्जरवर बनाइये, जो बनाइये, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अब फिर एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगा। कोई भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला संविधान अब पास होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अब दो महीने का टाइम है उसके लिए कोई प्रोग्राम बना लीजिए उन राज्यों के अंदर और उसको युध्द स्तर पर, वार फुटिंग पर लागू कीजिए।

मैं राष्ट्रपति शासन के बारे में आपसे कहना चाहूंगा—मुझे जो कुछ समझदारी है उससे मैंने यह सोचा था कि देश के अंदर जो साम्प्रदायिक तनाव, दंगा फसाद हो गया था बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद इसके बाद यह टेम्पोरेरी अरजमेंट राष्ट्रपति शासन का हुआ है। उन शक्तियों को डिसलोकेट करने के लिए इन्होंने साम्प्रदायिक तनाव संगठित किया था—यही लक्ष्य होना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन को इस लिहाज से उन राज्यों में जहां भी साम्प्रदायिकता का तनाव था उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि इन दो बिंदुओं पर राष्ट्रपति शासन असफल साबित हुआ है। प्रशासन में जो साम्प्रदायिक लोग चले आये हैं, उस विचार के हो गये हैं उनको शुध्द नहीं किया जा सका है। इसका हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है भोपाल से कि वहां अभी भी बमबारी चलती है बीच-बीच, में कभी इधर से कभी उधर से जो बम फेंका करते हैं। इसका कोई निराकरण तो हम नहीं कर पाए हैं। दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन में जो इस ख्याल के लोग हो गये हैं वे इसको और भी बढ़ावा देते हैं। आपने फर्ज भी नहीं किया ऐसे एलीमेंट्स को, जो संविधान के विपरीत काम करते हैं उनकी पर्जिंग होती तो लोग सबक सीखते कि आगे भी साम्प्रदायिक तनाव में वे हिस्सा नहीं लेंगे। इसमें राष्ट्रपति का शासन बिलकुल असफल हुआ है।

एक दूसरी बात है जो और भी डेंजरस है। हम लोग अक्सर ही यह चर्चा करते हैं कि राजनीतिज्ञों का और क्रिमिनल्स की, अपराधकर्मियों की सांठ-गांठ है। यह चिंताजनक बात है जो देश के लिए और भविष्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक बात है।